अपील संख्या 250/2017, उनवान आत्माराम बनाम श्रीमती संतोष वगैरह , आदेश दिनांक 25.10.2017 .

पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन हेतु पेश हुई । अपीलांट उपस्थित । अभिभाषक अपीलांट की अपील के क्षैत्राधिकार एवं प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय दिनांक 9.8.2007 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है । अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 9.8.2007 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन निर्णय नामांतकरण संख्या 2 दिनांक 15.6.1985 के संदर्भ में पारित किया गया है जबकि नामांतकरण के संदर्भ में पारित निर्णय के विरूद्ध सुनवाई का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है ।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील की सुनवाई का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु लौटाई जाने के आदेश दिये जाते है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मूल अपील सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु अपीलांट को लौटाई जावे तथा अपील मीमों एवं अधी0न्याया0 के आदेश की प्रमाणित प्रति न्यायालय रिकार्ड में रखी जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।